भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-**2222**

सोमवार, **2** दिसम्बर, **2019/11** अग्रहायण, **1941 (**शक)

पॉलिटेक्निकों के लिए निधि

**2222.** श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

**(**क) क्या सरकार ने देखा है कि वित्तीय वर्ष **2017-2018** से, पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (सीडीटीपी) योजना के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की गयी है और योजना के लिए भर्ती किये गए प्रशिक्षकों, अन्य परियोजना स्टॉफ, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ सामुदायिक विकास सलाहकार को प्रति माह **10000** रुपये का बहुत कम वेतन दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

**(**ख) क्या सरकार ने इस संबंध में डॉ॰ सैनी समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

**(**श्री आर.के. सिंह)

(क) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को जारी करने हेतु 50.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे जिसमें 'पॉलिटेक्निकों के माध्यम से सामुदायिक विकास' उप-योजना शामिल थी। इस योजना को जुलाई, 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) से एमएसडीई को स्थानांतरित कर दिया गया था। इस योजना को सितम्बर, 2018 में एमएसडीई द्वारा प्रशिक्षण महानिदेशालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2018-19 में एमएसडीई के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु संशोधित अनुमान (आरई) के अनुरूप कुल 44.46 करोड़ रुपए की निधि जारी की गई थी जिसमें सीडीटीपी उप-योजना भी शामिल है। सीडीटीपी उप-योजना हेतु एमएचआरडी द्वारा निर्धारित मानदण्डों तथा दिशानिदेशों के अनुसार सामुदायिक विकास सलाहकार को 10,000/- रु. प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है।

(ख) सीडीटीपी योजना को प्रारम्भ से ही डॉ. सैनी समिति की सिफारिशों के बाद अधिकांशतः तदनुरूप बनाया गया है।

*****